न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 05/2022

सरदारा राम दत्तक पुत्र श्री चतरू जाति माली, निवासी करमाडी, तन पपुरना तहसील खेतड़ी,जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रणजीत अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 14/2022 निर्णय दिनांक 24.01.2022

उपस्थितिः–

1 श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ––––– ––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.05.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.01.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सरदाराराम मु0नं0 14/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट का कथन है कि पत्रावली में हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमी की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जहां अपीलार्थी आबाद है, उसके चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है, जो आजादी से पूर्व से बसी हुई है। अपीलार्थी वे अन्य लोग राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद है। राजस्थान भू राजस्व अधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। अपीलार्थी का कब्जा अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। भूमि खसरा नंबर 2576 में 3.5 हैक्टर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत उक्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

आबादी में बदलने व पट्टा देने हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को भेज रखा है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अलाटमेंट व नियमन की कार्यवाही होनी चाहिए थी। धारा 91 की कार्यवाही संस्थित कर बेदखली की कार्यवाही करना गलत है। जहां अपीलार्थी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है, वहां सरकार की तरफ से विद्युत लाईन डाली हुई है, पानी की लाईन डाली हुई है। सरकार की तरफ से उक्त संघन आबादी के विकास की व्यवस्था की जा रही है, उस परिस्थिति में अपीलार्थी के खिलाफ अति कमण की कार्यवाही गलत की है। उक्त प्रकरण में दिनांक 13.1.2022 को प्रकरण दर्ज कर आदेशिका में दिनांक 20.1.2022 तारीख दर्ज कर दिनांक 24.1.2022 को अपीलार्थी के खिलाफ बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया । अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 24.1.2022 निरस्त किये जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमी की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जहां अपीलार्थी आबाद है, उसके चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है, जो आजादी से पूर्व से बसी हुई है। अपीलार्थी वे अन्य लोग राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद है। राजस्थान भू राजस्व अधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ है जो राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर नियमन/आवंटन योग्य है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। भूमि खसरा नंबर 2576 में 3.5 हैक्टर प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत उक्त भूमि को आबादी में बदलने व पट्टा देने हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को भेज रखा है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अलाटमेंट व नियमन की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

होनी चाहिए थी। धारा 91 की कार्यवाही संस्थित कर बेदखली की कार्यवाही करना गलत है। जहां अपीलार्थी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है, वहां सरकार की तरफ से विद्युत लाईन डाली हुई है, पानी की लाईन डाली हुई है। सरकार की तरफ से उक्त संघन आबादी के विकास की व्यवस्था की जा रही है, उस परिस्थिति में अपीलार्थी के खिलाफ अति क्रमण की कार्यवाही गलत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 2576 रकबा 4.25 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड़ के रकबा 40 फीट लम्बी दीवार तथा 70 फिट लंबी नींव भरकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि जहां अपीलार्थी आबाद है, उसके चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है, जो आजादी से पूर्व से बसी हुई है। अपीलार्थी वे अन्य लोग राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद है। राजस्थान भू राजस्व अधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। विवादित भूमि खसरा नंबर 2576 के संबंध में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत आबादी हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को भेज रखा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.1.2022 उनवानी सरकार बनाम रणजीत मु0नं0 14/2022 निरस्त किया जाता है । पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुराने कब्जे के आधार पर अगर भूमि नियमन योग्य है, तो विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय तहत अदालत आदेश प्रति सहित

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:23 IST
Reason: SelfAttested